राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
केशव बनाम शंकर

तारीख हुक्म	1234/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सारहीन किये जाने अपील पर सुनी गयी । दौराने बहस उद्धरित किया गया कि यह अपील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं इस अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18/12/2025 का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है, जिससे यह अपील अब चलने योग्य नही है । अत: अपील सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे । अधिवक्ता अपीलार्थी ने भी उक्त तथ्य पर अपनी सहमति जाहिर की । चूँकि दोनों पक्षों द्वारा मूल दावे का अन्तिम निस्तारण हो जाने के फलस्वरूप इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील को सारहीन हो जाने के कारण ख़ारिज किये जाने की ईस्तदुआ की गयी है । अत: अपील अपीलार्थी उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है । तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	